(94)

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2017 पी.[illegible]आर. निगरानी P 1369-PBR-17

1. लट्टूराम पुत्र सवाईलाल,
2. राकेश उर्फ गजेन्द्र पुत्र लट्टूराम
3. मुकेश पुत्र लट्टूराम
4. सोनू उर्फ बृजेश पुत्र लट्टूराम
5. दिनेश पुत्र लट्टूराम

निवासीगण--ग्राम मोहना, जिला ग्वालियर

----आवेदकगण/अपीलार्थीगण

दिनांक 12-5-17 को
श्रम-कं० [illegible] आ०
प्रस्तुत/
12.5.17
SO

बनाम

महेश मुदगल पुत्र श्री भगवानलाल मुदगल, निवासी--माँ लखेश्वरी धाम, ग्राम मोहना जिला ग्वालियर

----अनावेदक/प्रत्यर्थी

M.K. Gupta
Advocate
(M.K. Gupta)
Adv
12/5/17

निगरानी माल अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 21/04/2017 न्यायालय श्री विनोद सिंह अनुविभागीय अधिकारी घाटीगांव जिला ग्वालियर जो प्रकरण क्रमांक-12/2015-16 अपील लट्टूराम आदि बनाम महेश मुदगल में पारित किया गया है, से दुखित होकर प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1367—पीबीआर / 17 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14—6—2017	आवेदकगण की ओर से श्री मनोज कुमार गुप्ता, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21—4—2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश अंतिम प्रकृति का है, जिसके विरूद्ध संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं है । अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आवेदकगण को वापिस किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	